IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वैवाहिक अधिकार की बहाली: भारतीय व्यक्तिगत कानूनों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन

मनीष manishkumrkind81@gmail.com , डॉ कांचन किशोर रावत (rawatkanchan148@gmail.com)

(विधि स्नातक अंतिम वर्ष का छात्र) बीए.एलएलबी (ऑनर्स), सहायक अध्यापक विधि महाविद्यालय देहरादून

लॉ कॉलेज देहरादून, उत्तरांचल विश्वविद्यालय, प्रेमनगर

परिचय

प्राचीन काल से ही विवाह एक प्रमुख सामाजिक संस्था रही है| हिन्दू धर्म के अनुसार विवाह का संविदात्मक और धार्मिक दोनों महत्व है | यह एक परिवार का आधार है, और एक व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाने और समाज के बाद के विकास के लिए कई तरह से कार्य करता है | यह कई प्रकार के कार्य करता है, जैसे यौन व्यवहार को विनियमित करना, प्रजनन करना, पोषण करना, बच्चों की रक्षा करना, समाजीकरण करना और जीवन को पास करना | हिन्दू धर्म में, विवाह को केवल दो व्यक्तियों के बीच सबंध स्थापित करने के बजाय दो परिवारों के बीच संबंध स्थापित करने के रूप में माना जाता है | विवाह इस धारणा पर आधारित है कि पति – पत्नी एक साथ रहेंगे | दोनों पति पत्नी को दूसरे से आराम पाने का अधिकार है, और यदि एक पक्ष अपनी प्रतिबंद्धताओ को पूरा करने में विफल रहता है, तो दूसरे को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है| **श्रीमती सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा**[1], सुप्रीम कोर्ट ने कहा की शादी का सार आम जीवन को साझा करना है, उन सभी खुशियों को साझा करना है जो जीवन प्रदान करता है और सभी दर्द जो जीवन को सहना पड़ता है |

हिन्दू विधि के अनुसार विवाह को सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है | हिन्दू वैवाहिक समारोह के अनुसार, सप्तपदी अनुष्ठान पति और पत्नी दोनों पर विशिष्ट अधिकार और कर्तव्यों को लागू करता है | दांपत्य अधिकार हिन्दू कानून के तहत दोनों पति - पत्नी के लिए अनिवार्य अधिकार ओर कर्तव्य है | पति – पत्नी पर रखे गए कुछ आवश्यक वैवाहिक अधिकारों में पति-पत्नी के रूप में एक ही छत के नीचे रहना, संतनोत्पति, परिवार का पालन पोषण करना, इत्यादि शामिल है | भारत में, विभिन व्यक्तिगत कानून वैवाहिक अधिकारों की वापसी के लिए प्रदान करते है | इन सभी अधिनियम में सामान्य भाषा में कहा गया है कि यदि पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के दूसरे के समाज से अलग हो जाते है, तो पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की वसूली के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकते है | हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 22, आदेश 21, CPC के नियम 32 और 33, 1908, धारा 32, भारतीय तलाक अधिनियम, 1869, धारा 36, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 सभी विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए प्रावधान करते है|

दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का अर्थ

दांपत्य अधिकारों की बहाली का अर्थ पति और पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों की पुन: स्थापना है क्योंकि विवाह का मुख्य उद्देश्य यह है कि पक्षकार इसे पूरा करेगे और समाज और एक दूसरे के आराम का आनंद लेंगे|

यदि पति या पत्नी में से कोई भी उचित बहाने के बिना दूसरे के समाज से अलग हो जाता है, तो पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए न्यायलाया का दरवजा खटखटा सकता है | दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के आदेश को उस पक्ष को मजबूर करके निष्पादित नहीं किया जा सकता है, जिसने समाज से दूसरे पक्ष को वापस ले लिया है, जो उस व्यक्ति के साथ रहने के लिए है, जो बहाली के लिया याचिका दायर करता है | डिग्री का निष्पादन केवल निर्णीत ऋणी की संपतियों की कुर्की द्वारा ही किया जा सकता है| हालांकि, यदि वैवाहिक अधिकार की बहाली की डिक्री एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सम्मानित नहीं की जाती है, तो डिक्री की तारीख के बाद, यह तलाक का आधार बन जाता है|

[1] AIR 1984 SCC 1562

धारा 9 के अनुसार, वैवाहक अधिकारों की बहाली को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है:

1. बिना किसी उचित बहाने के एक पति या पत्नी को दूसरे पति या पत्नी के समाज से वापस लेना |
2. कोर्ट याचिकर्ता के बयान से संतुष्ट है |
3. याचिका खारिज करने का कोई कानूनी आधार नहीं है |

तीरथ कोर बनाम कृपाल सिंह[2] के मामले में, पत्नी ने नौकरी करने के लिए अपने पति का घर छोड़ दिया | पति अक्सर उससे मिलने आता था और वह उसे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देती थी | जब उसकी पैसों की मांग बढ़ गई और पत्नी उसकी मांगों को पूरा नहीं कर पाई तो पति ने उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा | जब पत्नी ने अपनी नौकरी छोड़ने से इनकार कर दिया, तो पति ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष HMA,1955 की धारा 9 के तहत उसे वापस लाने के लिए याचिका दायर की| न्यायमूर्ति ग्रोवर ने मुल्ला की इस राय पर भरोसा करने के बाद कि पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह अपने पति के अधिकार के प्रति आज्ञाकारी रूप से खुद को प्रस्तुत करे और उसकी सुरक्षा के साथ एक ही छत के नीचे रहे, कहा कि उसे ऐसा कोई नियम या सिद्धांत नहीं दिखाया गया है |

हालांकि, शांति देवी बनाम रमेश चंद्र रोकर और अन्य के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अलग निर्णय दिया जहा यह माना गया कि पत्नी द्वारा अपनी नौकरी से इस्तीफा देने से इनकार करने का अर्थ समाज से वापसी नहीं है | इस प्रकार, यह वैवाहिक अधिकार की बहाली के तहत डिक्री देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं ही सकता है|

इस प्रकार, जबकि एक पति और पत्नी दूर रह रहे क्षणों में हो सकते हैं, लेकिन एक लगातार और कानूनी नगरपालिका और दांपत्य संबंध बनाए रखते हैं, ऐसे परीक्षण में महासंघ से कोई अलगाव नहीं होगा। इसलिए विवाह संपन्न होने के बाद यदि कोई साथी बिना पर्याप्त स्पष्टीकरण के स्वयं को दूसरे के देश से वापस ले लेता है तो पीड़ित पक्ष को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए न्यायिक न्यायपालिका में एक याचिका को खंगालने की वैध स्वतंत्रता है।

एतिहासिक पृष्ठभूमि

वैवाहिक अधिकारों की बहाली का उपाय भारतीय वैवाहिक न्यायशास्त्र के लिए एक नया है जो यहूदी कानूनों में अपना मूल पाता है। अंग्रेज़ों द्वारा पेश किए जाने तक यह उपाय हिंदू कानून के लिए अज्ञात था। वास्तव में यह एकमात्र वैवाहिक उपाय है जो सामान्य कानून के तहत भारत में सभी समुदायों के लिए ब्रिटिश शासन के तहत उपलब्ध कराया गया था। आजादी के बाद इस उपाय को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में जगह मिली, इस उपाय का विरोध किया-

- खार्डेकर ने उपाय का विरोध करते हुए कहा था, "कम से कम यह विशेष कारण असभ्य, बर्बर और अशिष्ट है। सरकार को वैध बलात्कार के रूप में उकसाने वाला होना बहुत चौंकाने वाली बात है
- ब्रोमली ने भी अपनी पुस्तक में इस अवधारणा का विरोध किया है।
- यह कहते हुए उपचार का जोरदार विरोध किया, "मुझे एक बार भी नहीं पता था कि एक बहाली याचिका वास्तविक है, कि ये पैसे की मांग को लागू करने या तलाक प्राप्त करने के लिए केवल एक सुविधाजनक उपकरण थे।"

जैसा कि पारस दीवान ने कहा है, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के उपाय को न तो धर्मशास्त्र द्वारा मान्यता दी गई थी और न ही मुस्लिम कानून ने इसके लिए कोई प्रावधान किया था। दांपत्य अधिकारों की बहाली की जड़ें सामंती इंग्लैंड में हैं, जहां शादी को एक संपत्ति का सौदा माना जाता था और पत्नी अन्य संपत्ति की तरह पुरुष के कब्जे का हिस्सा थी। दांपत्य अधिकारों की बहाली की अवधारणा को भारत में मुंशी बुज़लूर रूहीम बनाम शमसूनीसा बेगम 1867 के मामले में पेश किया गया था, जहां इस तरह के कार्यों को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए विचार माना जाता था।

आधुनिक भारत में, हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत, मुसलमानों के लिए सामान्य कानून के तहत, ईसाइयों के लिए भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 32 और 33 के तहत, पारसियों के लिए पारसी की धारा 36 के तहत उपचार उपलब्ध है। विवाह और तलाक अधिनियम, 1969 और विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार विवाहित व्यक्तियों के लिए।

[2] AIR 1964 Page 28

वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अवधारणा और उत्पति

सभी वैवाहिक कानूनों के तहत विवाह प्रत्येक पति-पत्नी पर कुछ वैवाहिक कर्तव्यों को थोपता है और उनमे से प्रत्येक को कुछ कानूनी अधिकार देता है| विवाह का आवश्यक निहितार्थ यह है कि पक्षकार एक साथ रहेगे| प्रत्येक पति या पत्नी दूसरे के आराम कसोटियम का हकदार है| अंत: विवाह सपन्न होने के बाद यदि पति-पत्नी में से कोई भी बिना उचित बहाने के खुद को दूसरे के समाज से अलग कर लेता है तो पीड़ित पक्ष को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए वैवाहिक अदालत में याचिका दायर करने का कानूनी अधिकार है | अदालत पीड़ित पति या पत्नी की याचिका पर सुनवाई के बाद संतुष्ट होने पर कि कोई कानूनी आधार नहीं है कि आवेदन क्यों अस्वीकार किया जाएगा और याचिका में दिए गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट होने पर वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश पारित कर सकता है|

वैवाहिक अधिकारों की बहाली ही एकमात्र उपाय है जिसे प्रत्येक पति या पत्नी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते है | एक पति या पत्नी दूसरे पति या पत्नी के साथ सहवास के अपने अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर कर सकते है | लेकिन दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की डिक्री का निष्पादन बहुत कठिन है| हालांकि अदालत वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश पारित करने के लिए सक्षम है,लेकिन यह किसी भी कानून द्वारा इसका विशिष्ट प्रदर्शन करने के लिए शक्तिहीन है| जारी की गई डिक्री का पालन न करने के परिणामस्वरूप दोषी पति या पत्नी की ओर से रचनात्मक विनाश होता है| वर्तनाम में भारतीय व्यक्तिगत कानूनों के तहत उपलब्ध प्रावधानों की अनुसार, पीड़ित पक्ष डिक्री के पारित होने की तारीख से एक वर्ष के बाद तलाक की डिक्री के लिए याचिका दायर करता है और सक्षम अदालत पीड़ित पक्ष में तलाक की डिक्री पारित कर सकती है | दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का आदेश वैवाहिक संपत्ति की कुर्की द्वारा लागू किया जा सकता है, और यदि शिकायत की गई पार्टी अभी भी अनुपालन नहीं करती है, तो अदालत उसे अदालत की अवमानना के लिए दंडित भी कर सकती है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अदालत दोषी पति या पत्नी को पूर्ण विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। वैध विवाहों के मामले में ही वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश पारित किया जा सकता है |

जैसा कि पारस दीवान ने कहा है, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के उपाय को न तो धर्मशास्त्र द्वारा मान्यता दी गई थी और न ही मुस्लिम कानून ने इसके लिए कोई प्रावधान किया था। यह राज के साथ आया था। दांपत्य अधिकारों की बहाली की जड़ें सामंती इंग्लैंड में हैं, जहां शादी को एक संपत्ति का सौदा माना जाता था और पत्नी अन्य संपत्ति की तरह पुरुष के कब्जे का हिस्सा थी। वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अवधारणा को भारत में मुंशी बुज़लूर रूहीम बनाम शमसूनीसा बेगम के मामले में पेश किया गया था, जहां इस तरह के कार्यों को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए विचार माना जाता था।

दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के आवश्यक तत्व

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा के आवश्यक तत्व इस प्रकार है:

1. एक वेध विवाह होना चाहिए जो पाटियों के बीच मौजूद हो |
2. एक को दूसरे के समाज से हट जाना चाहिए |
3. यह निकासी बिना किसी उचित बहाने की जानी चाहिए |
4. न्यायालय को इस कथन की सत्यता को संतुष्ट करना चाहिए कि डिक्री को अस्वीकार करने के लिए कोई कानूनी आधार मौजूद नहीं है

विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में वैवाहिक अधिकारों का तुलनात्मक विश्लेषण

वैवाहिक अधिकारों की बहाली उन राहतो में से एक है जो कानून द्वारा विवाह की संस्था में संकट में जीवन साथी को प्रदान की जाती है | वैध विवाहों के मामलों में ही वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश पारित किया जा सकता है | वैवाहिक कानून से संबंधित कानून के अलावा, भारत में अदालतो ने सभी समुदायो के मामले में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आदेश पारित किए है |

- **हिन्दू**

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 में वैवाहिक अधिकारों की बहाली का प्रावधान है | पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए जिला न्यायालय में याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है | हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के महत्वपूर्ण निहितार्थों में से एक यह है कि यह पीड़ित पक्ष को हिन्दू विवाह अधिनियम ,1955 की धारा 25 के तहत रख रखाव के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान करता है | मामले में पार्टियों द्वारा रखरखाव भी प्राप्त किया जा सकता है | जब कारवाई हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के तहत लंबित है | इसलिए, एक पत्नी जो न्यायिक अलगाव या विवाह में व्यवधान नहीं चाहती है, हिन्दू गोद लेने और रखरखाव के तहत उसके लिए मुकदमा दायर किए बिना अपने पति से रखरखाव प्राप्त कर सकती है | अधिनियम, 1956 | धारा का एक अन्य महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है की यह हिन्दू विवाह

अधिनियम, 1955 की धारा 13(1ए) के तहत इस शर्त पर तलाक के लिए एक आधार प्रदान करता है कि शादी के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए उसके बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नही हुई है | वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अटक डिक्री पारित करना | राहत देने से इनकार करने के कानूनी आधार है :

- उदाहरण के लिए, कोई भी आधार जिस पर प्रतिवादी न्यायिक अलगाव या विवाह को अमान्य करने या तलाक के लिए डिक्री की मांग कर सकता था:
- याचिकाकर्ता के समाज से अलग होने का उचित बहाना:
- याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी आचरण या तथ्य इस तरह की राहत के उद्देश्य से याचिकाकर्ता द्वारा अपनी गलती या किसी अक्षमता का लाभ उठाने के समान है :
- कार्यवाही शुरू करने में अनावश्यक या अनुचित विलंब |

मुस्लिम

यदि पति या तो पत्नी को छोड़ देती है या बिना किसी उचित कारण के अपने वैवाहिक दायित्वों को निभाने में उपेक्षा करता है,तो पति वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन कर सकती है | यह तक कि पति भी वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन कर सकता है | लेकिन न्यायालय निमलिखित कारणों से वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश देने से इंकार कर सकता है :

- पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता
- पति द्वारा वैवाहिक दायित्वों को निभाने में विफल रहने पर
- पति द्वारा शीघ्र मेहर का भुगतान न करने पर

ईसाई

एक ईसाई पति और पत्नी भी वैवाहिक अभिकारों की बहाली के आदेश के लिए आवेदन कर सकते है | न्यायालय निम्नलिखित कारणों से डिक्री पारित नहीं कर सकता है :

- पति या पत्नी की क्रूरता
- यदि पति या पत्नी में से कोई एक पागल है
- अगर पति-पत्नी में से कोई एक दोबारा शादी करता है

पारसी

जहां पति-पत्नी परित्यक्त हो गए हो या बिना वैध कारण के अपने पति-पत्नी के साथ सहवास करना बंद कर दिया हो, इस तरह से परित्यक्त किया गया पक्ष या जिसके साथ सहवास समाप्त हो गया हो, अपने या अपने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा कर सकता है और संतुष्ट होने पर अदालत वाद में निहित आरोपों की सच्चाई के बारे में और यह की ऐसा कोई आधार नहीं है कि राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए, तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों की ऐसी बहाली को डिक्री करने के लिए आगे बढ़ सकता है |

हिन्दू, ईसाई और मुस्लिम कानून के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के प्रावधान

जब पति-पत्नी में से कोई एक उचित कारण के बिना दूसरे के समाज से अलग हो जाता है, तो दूसरा व्यक्ति हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा दायर कर सकता है | इसी तरह एक ईसाई पति या पत्नी याचिका दायर कर सकते है | भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 32 और 33 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए। मुस्लिम कानून के तहत प्रावधान लगभग आधुनिक हिंदू कानून के समान ही है, हालांकि मुस्लिम कानून के तहत दीवानी अदालत में मुकदमा दायर किया जाना है और नहीं अन्य कानूनों के तहत एक याचिका। दांपत्य अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका तभी सुनवाई योग्य है जब एक वैध विवाह हो।

लैंगिक भेदभाव की अवधारणा को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में शामिल नहीं किया गया है और सभी को धारा 9 के तहत समान माना जाता है। धारा 9 में लिंगों का कोई वर्गीकरण नहीं है और इस क्षेत्र में सभी समानों के साथ समान व्यवहार किया गया है। **हाइड बनाम हाइड और वुडमैनसी में,**[3] ईसाई विवाह में भागीदारों की स्थिति के रूप में कहा गया था "शादी को एक अनुबंध से अधिक कुछ कहा गया है, या तो धार्मिक या नागरिक - एक संस्था होने के

[3] एआईआर,1866 LR 1 P. and D, 130

लिए। यह पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों का निर्माण करता है, जैसा कि सभी अनुबंध करते हैं, लेकिन इससे परे यह एक स्थिति प्रदान करता है। "पति" और "पत्नी" की स्थिति या स्थिति पूरे ईसाईजगत में एक मान्यता प्राप्त है: सभी ईसाई राष्ट्रों के कानून पार्टियों के जीवन के दौरान विभिन्न प्रकार की कानूनी घटनाओं के बारे में बताते हैं, और उनकी संतानों पर निश्चित रोशनी डालते हैं। ”जबकि मुस्लिम कानून में जहां पत्नी बिना किसी वैध कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, पति वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा कर सकता है और इसी तरह पत्नी को पति द्वारा वैवाहिक कर्तव्यों की पूर्ति की मांग करने का अधिकार है।

लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है क्योंकि वैवाहिक मामलों में मुस्लिम पति का दबदबा है, और जैसा कि कुरान पति को अपनी पत्नी को दया के साथ बनाए रखने या उसे दया से खारिज करने का आदेश देता है, अदालत पत्नी के पक्ष में झुकती है और सभी के लिए सख्त सबूत की आवश्यकता होती है। वैवाहिक राहत के लिए आवश्यक आरोप। मुस्लिम कानून के तहत एक मुस्लिम पति किसी भी समय तलाक बोलकर पत्नी की मुआवजे की याचिका को खारिज कर सकता है। पति वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा कर सकता है और इसी तरह पत्नी को पति द्वारा वैवाहिक कर्तव्यों की पूर्ति की मांग करने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है क्योंकि वैवाहिक मामलों में मुस्लिम पति का दबदबा है, और जैसा कि कुरान पति को अपनी पत्नी को दया के साथ बनाए रखने या उसे दया से खारिज करने का आदेश देता है, अदालत पत्नी के पक्ष में झुकती है और सभी के लिए सख्त सबूत की आवश्यकता होती है। वैवाहिक राहत के लिए आवश्यक आरोप। मुस्लिम कानून के तहत एक मुस्लिम पति किसी भी समय तलाक बोलकर पत्नी की मुआवजे की याचिका को खारिज कर सकता है। पति वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा कर सकता है और इसी तरह पत्नी को पति द्वारा वैवाहिक कर्तव्यों की पूर्ति की मांग करने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है क्योंकि वैवाहिक मामलों में मुस्लिम पति का दबदबा है, और जैसा कि कुरान पति को अपनी पत्नी को दया के साथ बनाए रखने या उसे दया से खारिज करने का आदेश देता है, अदालत पत्नी के पक्ष में झुकती है और सभी के लिए सख्त सबूत की आवश्यकता होती है। वैवाहिक राहत के लिए आवश्यक आरोप। मुस्लिम कानून के तहत एक मुस्लिम पति किसी भी समय तलाक बोलकर पत्नी की मुआवजे की याचिका को खारिज कर सकता है। अदालत पत्नी के पक्ष में झुकती है और वैवाहिक राहत के लिए आवश्यक सभी आरोपों के लिए सख्त सबूत की आवश्यकता होती है। मुस्लिम कानून के तहत एक मुस्लिम पति किसी भी समय तलाक बोलकर पत्नी की मुआवजे की याचिका को खारिज कर सकता है। अदालत पत्नी के पक्ष में झुकती है और वैवाहिक राहत के लिए आवश्यक सभी आरोपों के लिए सख्त सबूत की आवश्यकता होती है। मुस्लिम कानून के तहत एक मुस्लिम पति किसी भी समय तलाक बोलकर पत्नी की मुआवजे की याचिका को खारिज कर सकता है।[4]

हिंदू कानून में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री की राहत एक समान राहत है और प्रतिवादी को वादी के साथ सहवास में लौटने के लिए मजबूर करने से पहले समान विचारों पर विचार किया जाना चाहिए। मुस्लिम कानून और ईसाई कानून द्वारा शासित विवाह के संबंध में भी यही कानून है। वैवाहिक अधिकारों की बहाली की राहत विवेकाधीन है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के तहत बहाली याचिका का बचाव बहुत व्यापक है और इसमें कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ता के समाज से प्रतिवादी की वापसी "उचित बहाने के बिना" है, तो यह बहाली याचिका का बचाव। मुस्लिम कानून के तहत, तैयबजी ने "कानूनी आधार के बिना" अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया है। यह स्वीकार किया जाता है कि अभिव्यक्ति "उचित बहाने के बिना" और "कानूनी आधार के बिना" का एक ही अर्थ होना चाहिए।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत जो कुछ भी अमान्यता, विवाह के विघटन या न्यायिक अलगाव के लिए एक आधार बनता है, वह वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका के खिलाफ बचाव है। तदनुसार, ईसाइयों के लिए लागू भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 33 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका के खिलाफ बचाव के रूप में कुछ भी नहीं दिया जा सकता है, जो न्यायिक अलगाव या विवाह की अशक्तता की डिक्री के लिए आधार नहीं होगा। मुस्लिम कानून के तहत शून्य और अनियमित विवाह के आधार, मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 के विघटन के तहत युवावस्था के विकल्प और अन्य प्रावधानों के प्रयोग से बचा गया विवाह, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका के लिए बचाव है। यदि पति को उसके समुदाय द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया हो तो याचिका को भी खारिज किया जा सकता है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) के तहत निर्धारित आयु के उल्लंघन में विवाह न तो शून्य है और न ही अमान्य करने योग्य है, उल्लंघन के आधार पर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 की धारा 60 (1) के अनुसार भारतीय ईसाई के लिए यह आवश्यक है कि विवाह के समय दुल्हन की आयु अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और दूल्हे की उम्र इक्कीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। गैर-आयु विवाह को शून्य या शून्यकरणीय नहीं बनाती है। इस प्रकार विवाह एक वैध विवाह बना रहता है; वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जबकि मुस्लिम कानून में मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 के विघटन

---

[4] आसफ आफिजी, आउटलाइन ऑफ मुहम्मडन लॉ, (5वां संस्करण : 2008) (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली

की धारा 2 (vii) के तहत जब विवाह को युवावस्था के विकल्प के प्रयोग से टाला गया है तो वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा विफल रहता है।

जहां तक हिंदुओं और ईसाइयों का संबंध है, एक सह-पत्नी का अस्तित्व एक पर्याप्त कारण है जो पत्नी को अपने पति के समाज से खुद को वापस लेने का अधिकार देता है, जिसे पत्नी द्वारा बचाव याचिका के खिलाफ बचाव के रूप में लिया जा सकता है। जबकि मुस्लिम कानून के तहत नियंत्रित बहुविवाह की अनुमति है। इसलिए, पति द्वारा दूसरी पत्नी लेने के कारण एक मुस्लिम पत्नी पति को आराम-संघ से इंकार नहीं कर सकती है। लेकिन कुछ स्थितियों में, एक पति की दूसरी शादी में पहली पत्नी के साथ रहने से इनकार करने को सही ठहराने के लिए क्रूरता शामिल हो सकती है। इतवारी बनाम असगरी में, मुस्लिम पति द्वारा अपनी पहली पत्नी के खिलाफ दायर एक बहाली याचिका में अदालत ने कहा था कि वह पत्नी को पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है और अगर अदालत को लगता है कि ऐसा करना उचित और उचित नहीं होगा तो वह राहत से इनकार कर सकती है। या डिक्री पारित करना असमान होगा। भारत में द्विविवाह विवाह अब काफी हद तक अदालतों द्वारा अस्वीकृत हैं। कुछ उच्च न्यायालयों ने इसे पति द्वारा क्रूरता माना है और उस आधार पर वैवाहिक अधिकारों की बहाली की राहत से इनकार किया है।

क्रूरता का हमेशा शारीरिक होना जरूरी नहीं है और यह मानसिक भी हो सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (ia) को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका के खिलाफ क्रूरता की रक्षा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 'क्रूरता' की परिभाषा या सभी कार्यों में क्रूरता का गठन हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 या भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार, हिंदू कानून के साथ-साथ ईसाई कानून में भी अदालतों के पास यह तय करने की व्यापक शक्ति और विवेक है कि क्रूरता क्या है। जबकि मुस्लिम कानून में, मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 के विघटन की धारा 2 (viii), शारीरिक क्रूरता के साथ-साथ कानूनी क्रूरता दोनों क्रूरता के सभी उदाहरणों के साथ क्रूरता की परिभाषा के तहत शामिल है।

हिंदू कानून और ईसाई कानून में, अलगाव समझौते वैवाहिक विधियों का हिस्सा नहीं हैं। वे अनुबंध के सामान्य कानून द्वारा विनियमित होते हैं। जबकि मुस्लिम वैवाहिक कानून में पति-पत्नी को शादी के समय या उसके बाद भी कुछ समझौतों में प्रवेश करने की अनुमति है। साथ ही एक वैध अलगाव समझौता वैवाहिक अधिकारों की बहाली के मुकदमे के लिए एक अच्छा बचाव है।

दहेज की अवधारणा केवल मुस्लिम कानून के लिए विशिष्ट है। शीघ्र मेहर का भुगतान न करने के कारण पति से अलग रहने वाली मुस्लिम पत्नी को कुछ शर्तों के अधीन वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि पति विवाह संपन्न होने से पहले वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा करता है, तो मेहर का भुगतान न करना सूट का पूर्ण बचाव है, और मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। यदि वाद विवाह संपन्न होने के बाद लाया जाता है तो दाम्पत्य अधिकारों के शीघ्र भुगतान पर दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री पारित की जानी है। पति के पास अपनी पत्नी के खिलाफ बिना शर्त दांपत्य अधिकारों की बहाली का दावा करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है; अदालतों के पास विवेकाधिकार है कि वह डिक्री को उसके अवैतनिक मेहर ऋण के भुगतान पर सशर्त बना सकती है या अन्य उपयुक्त शर्तों को लागू कर सकती है, जो उचित मानी जाती हैं |

निष्कर्ष

वैवाहिक अधिकारों की बहाली एक व्यापक रूप से विवादित और विवादास्पद मुद्दा है | कुछ का मानना है की विवाह को बाचने के लिए है, जबकि अन्य का मानना है कि अगर दूसरे व्यक्ति की रुचि नहीं है तो पीड़ित पक्ष के साथ रहने के लिए दूसरे व्यक्ति पर दबाव डालने का कोई फायदा नहीं है | हालांकि, कुछ भी संशोधित करके सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है |

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह जनता के लिए फायदेमंद है, इस कानूनी उपाय को कई दृष्टिकोणों से जांचना महत्वपूर्ण है। एक रिश्ते को चलाने के लिए, एक जोड़े को एक-दूसरे का साथ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यह खंड इन संस्कृतियों के लिए कानूनी समर्थन देता है, लेकिन यह दो लोगों को भी मजबूर करता है जो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, और एक मजबूर रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है।

कठोर दांपत्य अधिकारों के बजाय, सुलह की अवधारणा पर विचार किया जा सकता है। बहाली की अवधारणा कठोर और क्रूर प्रतीत होती है, क्योंकि यह किसी भी पक्ष को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी ओर, सुलह का लहजा काफी नरम और अनुरोध करने वाला है। बहाली के साथ मुद्दा यह है कि इस बात की काफी संभावना है कि दोनों पक्षों को अनिच्छा से एक साथ रहने के लिए मजबूर करने के बाद स्थिति अप्रिय हो जाएगी। हालाँकि, यदि उपाय सुलह है, तो यह किसी भी पक्ष के लिए अप्रिय नहीं हो सकता है और गलतफहमी की हवा को भी साफ कर देगा।

एक क्लासिक कहावत इस प्रकार है "आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते", और भारतीय व्यक्तिगत कानूनों में वैवाहिक अधिकारों की बहाली का प्रावधान उसी के अनुरूप प्रतीत होता है। अदालत वैवाहिक अधिकारों को फिर से शुरू करने और पति-पत्नी को एक साथ सहवास करने का आदेश जारी कर सकती है। प्रतिवादी की संपत्ति कुर्क करके भारतीय कानून के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली का निर्णय भी लिया जा सकता है। हालाँकि, अदालत डिफॉल्ट करने वाले पति या पत्नी को शारीरिक रूप से डिक्री-धारक पति या पत्नी के कम्फर्ट कंसोर्टियम में लौटने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।

वैवाहिक अधिकारों की बहाली एक व्यक्ति के कानूनों का एक पहलू है; इसलिए, यह धर्म, परंपरा और प्रथा जैसे विचारों द्वारा शासित होता है। यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली, विवाह को परेशान करने के बजाय इसे संरक्षित करने के लिए लक्षित एक उपाय है, जैसा कि तलाक या न्यायिक अलगाव के मामले में होता है। यह विवाह टूटने की रोकथाम में सहायता करता है और इसलिए विवाह को बचाने का कार्य करता है। नतीजतन, वैवाहिक अधिकारों की बहाली का उपाय पार्टियों के बीच सुलह को बढ़ावा देने और विवाहित संबंधों के संरक्षण का प्रयास करता है।

ग्रंथ सूची

पुस्तके

1. आधुनिक हिन्दू विधि, पारस दीवान (सोलवा संस्करण 2005) इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकैशन
2. लॉ ऑफ मैरिज एंड डायवोर्स, डॉ पारस दीवान, (5वां ईडी. : 2008), (यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी)
3. वीपी भारतीय, सैयद खालिद रशीद का मुस्लिम कानून, (चौथा ईडी: 2004) (ईस्टर्न बुक कंपनी लखनऊ)
4. डॉ. पारस दीवान, लॉ ऑफ मैरिज एंड डायवोर्स, (5वां ईडी. : 2008), (यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी)
5. आसफ आफिजी, आउटलाइन ऑफ मुहम्मडन लॉ, (5वां संस्करण : 2008) (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली

लेख:

1. https://www.latestlaws.com/articles/restitution-of-conjugal-rights-a-critical-analysis-189967 (अंतिम बार देखा 21 फरवरी,2023)
2. https://www.advocatekhoj.com/library/lawareas/hma/restitution.php?Title=Hindu%20Marriage%20Act&STitle=Restitution%20of%20Conjugal%20Rights (अंतिम बार देखा 22 फरवरी 2023)
3. https://www.legalservicesindia.com/article/814/Restitution-of-Conjugal-Right. (अंतिम बार देखा गया: 1 मार्च, 2023)
4. https://wunrn.com/news/2008/03_08/03_03_08/030308_culture_files/030308_culture.pdf%20,%20, (अंतिम बार देखा गया: 1 मार्च, 2023)
5. https://lawfam.oxfordjournals.org/content/19/1/47.abstract#target-1, (अंतिम बार देखा गया: मार्च 1, 2023)

मामलों

1. श्रीमती सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा (AIR 1984 SCC 1562)
2. शांति देवी बनाम रमेश चंद्र रोकर
3. टी सरिता बनाम सुब्बाया (1983 आन्ध्र 356)
4. सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार(1984 SSC 1562)
5. के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017 10 SSC 1)
6. हाइड बनाम हाइड और वुडमैनसी, (1866) LR 1 P. & D. 130